न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 89/2023
निर्णय दिनांक : 24.04.2024

1. सीताराम शर्मा पुत्र घासीराम शर्मा बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम रातल्या तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
2. जयपुर विकास प्राधिकारण जयपुर जरिये सचिव पता इन्द्रा सर्किल, जे0एल0एन0 मार्ग जयपुर।

प्रार्थन पत्र बाबत् नक्शा ट्रेस में तरमीम दुरूस्ती किये जाने बाबत्

निर्णय

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का लाखना तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे आराजी भूमि खसरा न0 233/1095 रकबा 0.0450 है० राजस्व रिकार्ड मे अंकित है। ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का लाखना तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे खसरा न० 233/1096 रकबा 0.13 है०, खसरा न० 233/1095 रकबा 0.13 है0 भूमि स्थित थी जिसमे से अप्रार्थी सख्या दो ने रिंग रोड निर्माण हेतु खसरा न० 233/1096 रकबा 0.13 है० सम्पूर्ण व खसरा न0 233/1095 रकबा 0.13 है0 मे से 0.0850 है० भूमि आवाप्त कर ली। खसरा न0 233/1095 में शेष रही भूमि 0.0450 है० भूमि प्रार्थी के नाम से शेष रही। अप्रार्थी संख्या दो के द्वारा खसरा न0 233/1096 रकबा 0.13 है० सम्पूर्ण मे रिगं रोड का निर्माण कर लिया है खसरा न0 233/1097 रकबा 0.0850 है० भूमि अप्रार्थी सख्या दो के नाम से रही तथा खसरा नं0 233/1095 रकबा 0. 0450 है० भूमि प्रार्थी के नाम से शेष रही है। उक्त भूमि की तरमीम करते समय प्रार्थी के खसरा न0 233/1095 को नक्शा ट्रेस मे निचे दर्शा दिया गया इस कारण प्रार्थी को उक्त भूमि मे आने जाने का कोई रास्ता नही रहा जबकि प्रार्थी का कब्जा उत्तर से दक्षिण पूर्वी साईड मे है तथा उसमे बाउण्डरीवॉल बनी हुयी है। अप्रार्थी सख्या एक के द्वारा की गई तरमीम से प्रार्थी को आने जाने व अपनी भूमि के उपयोग उपभोग के लिए कोई रास्ता नही है अगर अप्रार्थी सख्या एक के द्वारा की गई तरमीम को दुरूस्त नही किया जाता है तो प्रार्थी अपनी भूमि से कोई रास्ता नही होने के कारण उपयोग उपभोग करने से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जायेगा। इस कारण न्यायहित मे तरमीम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि की तरमीम दुरूस्त किये जाने से अप्रार्थी सरकार या विकास प्राधिकरण पर किसी प्रकार का विपरित प्रभाव नही पडेगा। साथ ही प्रार्थी अपनी भूमि का समुचित उपयोग उपभोग करने मे सुविधा होगी।

प्रार्थी की भूमि की तरमीम दुरूस्त करने के लिए प्रार्थी ने अप्रार्थी सख्या एक के समक्ष दिनांक 22/8/2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.07.23 10:39:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगानेर, जयपुर (द्वितीय)

2

पर अप्राथर्थी सख्या एक ने कहा कि उक्त दुरूस्ती के लिए आपको सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां पर तरमीम दुरूस्ती करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस कारण प्राथी को यह प्रार्थना पत्र वारते नक्शा ट्रेस मे तरमीम दुरूस्त किये जाने पेश किया जाना लाजमि हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी सख्या एक को आदेशित किया जावे कि खसरा न० 233/1097 रकवा 0.0850 है० व खसरा न0 233/1095 रकवा 0.0450 है0 वाके ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का लाखना तहसील सांगानेर जिला जयपुर के नक्शाट्रेस मे पूर्व से पश्चिम की ओर की गई तरमीम को दुरूस्त कर उत्तर से दक्षिण जिसको की नजरीये नक्शे मे पिले रंग से दर्शाया गया है किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से कोई भी उपस्थित नही।

प्रार्थी की पत्रावली में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी सख्या एक को आदेशित किया जावे कि खसरा न० 233/1097 रकबा 0.0850 है० व खसरा न0 233/1095 रकवा 0.0450 है0 वाके ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का लाखना तहसील सांगानेर जिला जयपुर के नक्शाट्रेस मे पूर्व से पश्चिम की ओर की गई तरमीम को दुरूस्त कर उत्तर से दक्षिण जिसको की नजरीये नक्शे मे पिले रंग से दर्शाया गया है किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

हमने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार खसरा न० 233/1097 रकबा 0.0850 है० व खसरा न0 233/1095 रकबा 0.0450 है0 वाके ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का लाखना तहसील सांगानेर जिला जयपुर के नक्शाट्रेस में पूर्व से पश्चिम की ओर की गई तरमीम को दुरूस्त कर उत्तर से दक्षिण जिसको की नजरीये नक्शे मे पिले रंग से दर्शाया गया है

निर्णय आज दिनांक 24.04.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.07.23 10:39:20 IST
Reason: SelfAttested

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर—द्वितीय (सांगानेर),जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 89/2023
निर्णय दिनांक : 25/5/24

1. सीताराम शर्मा पुत्र घासीराम शर्मा बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम रातल्या तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
2. जयपुर विकास प्राधिकारण जयपुर जरिये सचिव पता इन्द्रा सर्किल, जे0एल0एन0 मार्ग जयपुर।

प्रार्थन पत्र बाबत् नक्शा ट्रेस में तरमीम दुरूस्ती किये जाने बाबत्

निर्णय

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का लाखना तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे आराजी भूमि खसरा न0 233/1095 रकबा 0.0450 है० राजस्व रिकार्ड मे अंकित है। ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का लाखना तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे खसरा न० 233/1096 रकबा 0.13 है०, खसरा न० 233/1095 रकबा 0.13 है0 भूमि स्थित थी जिसमे से अप्रार्थी सख्या दो ने रिंग रोड निर्माण हेतु खसरा न० 233/1096 रकबा 0.13 है० सम्पूर्ण व खसरा न0 233/1095 रकबा 0.13 है0 मे से 0.0850 है० भूमि आवाप्त कर ली। खसरा न0 233/1095 में शेष रही भूमि 0.0450 है० भूमि प्रार्थी के नाम से शेष रही।अप्रार्थी संख्या दो के द्वारा खसरा न0 233/1096 रकबा 0.13 है० सम्पूर्ण मे रिगं रोड का निर्माण कर लिया है खसरा न0 233/1097 रकबा 0.0850 है० भूमि अप्रार्थी सख्या दो के नाम से रही तथा खसरा नं0 233/1095 रकबा 0. 0450 है० भूमि प्रार्थी के नाम से शेष रही है। उक्त भूमि की तरमीम करते समय प्रार्थी के खसरा न0 233/1095 को नक्शा ट्रेस मे निचे दर्शा दिया गया इस कारण प्रार्थी को उक्त भूमि मे आने जाने का कोई रास्ता नही रहा जबकि प्रार्थी का कब्जा उत्तर से दक्षिण पूर्वी साईड मे है तथा उसमे बाउण्डरीवॉल बनी हुयी है। अप्रार्थी सख्या एक के द्वारा की गई तरमीम से प्रार्थी को आने जाने व अपनी भूमि के उपयोग उपभोग के लिए कोई रास्ता नही है अगर अप्रार्थी सख्या एक के द्वारा की गई तरमीम को दुरूस्त नही किया जाता है तो प्रार्थी अपनी भूमि से कोई रास्ता नही होने के कारण उपयोग उपभोग करने से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जायेगा। इस कारण न्यायहित मे तरमीम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि की तरमीम दुरूस्त किये जाने से अप्रार्थी सख्या के अधिकारो पर किसी प्रकार का विपरित प्रभाव नही पडेगा। साथ ही प्रार्थी को अपनी भूमि का समुचित उपयोग उपभोग करने मे सुविधा होगी।

प्रार्थी की भूमि की तरमीम दुरूस्त करने के लिए प्रार्थी ने अप्रार्थी सख्या एक के समक्ष दिनांक 22/8/2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अप्राथर्थी सख्या एक ने कहा कि उक्त दुरूस्ती के लिए आपको सक्षम

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.07.23 10:39:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां पर तरमीम दुरूस्ती करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस कारण प्राथी को यह प्रार्थना पत्र वास्ते नक्शा ट्रेस मे तरमीम दुरूस्त किये जाने पेश किया जाना लाजमि हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी सख्या एक को आदेशित किया जावे कि खसरा न० 233/1097 रकबा 0.0850 है० व खसरा न0 233/1095 रकबा 0.0450 है0 वाके ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का लाखना तहसील सांगानेर जिला जयपुर के नक्शाट्रेस मे पूर्व से पश्चिम की ओर की गई तरमीम को दुरूस्त कर उत्तर से दक्षिण जिसको की नजरीये नक्शे मे पिले रंग से दर्शाया गया है किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से कोई भी उपस्थित नही।

प्रार्थी की पत्रावली में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया किप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी सख्या एक को आदेशित किया जावे कि खसरा न० 233/1097 रकबा 0.0850 है० व खसरा न0 233/1095 रकबा 0.0450 है0 वाके ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का लाखना तहसील सांगानेर जिला जयपुर के नक्शाट्रेस मे पूर्व से पश्चिम की ओर की गई तरमीम को दुरूस्त कर उत्तर से दक्षिण जिसको की नजरीये नक्शे मे पिले रंग से दर्शाया गया है किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

हमने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार खसरा न० 233/1097 रकबा 0.0850 है० व खसरा न0 233/1095 रकबा 0.0450 है0 वाके ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का लाखना तहसील सांगानेर जिला जयपुर के नक्शाट्रेस में पूर्व से पश्चिम की ओर की गई तरमीम को दुरूस्त कर उत्तर से दक्षिण जिसको की नजरीये नक्शे मे पिले रंग से दर्शाया गया है

निर्णय आज दिनांक 25/5/24 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.07.23 10:39:20 IST
Reason: SelfAttested

सीताराम V/S Raj. सरकार

14/3/24 पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० [illegible] ब
[illegible] है। अतः
पत्रावली [illegible] 18/4/24
को पेश हो।

18/4/24 [illegible]ी पेश हुई। पी०ओ० साहब
राज्य कार्य में व्यस्त है। अत
[illegible]ी पूर्वानुसार दिनांक 24/4/24
[illegible] पेश हो।

24/4/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित
वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना सुनाई
प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना स्वीकार
किया जाता है निष्पादन विविध प्रार्थना
से निस्तारित किया जाकर आवश्यक पत्रावली
किया गया पत्रावली की [illegible] बाद तामील
[illegible] [illegible] [illegible]
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.07.23 10:39:20 IST
Reason: SelfAttested